न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 53 / 2021

प्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र रतनाराम
2. भैराराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी मीठी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खींयाराम पुत्र लाखाराम
2. चुनाराम पुत्र लाखाराम
3. चेनीदेवी पत्नी लाखाराम जाति जाट निवासी मीठी पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना
4. अणसी पत्नी हिमताराम
5. चूनी पत्नी दीपाराम
6. टीकमाराम पुत्र वनाराम
7. नारणाराम पुत्र हिमताराम
8. रूपाराम पुत्र हिमताराम
9. वीराराम पुत्र दीपाराम
10. हुकमाराम पुत्र वनाराम
11. हडूमानराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी मीठी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला
12. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 20.07.2021

अधिवक्ता :–

1. **श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री ओमप्रकाश विश्नोई विप्रार्थीगण**

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 03.05.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम मीठी पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 14, 18 क्षेत्रफल क्रमशः [illegible] 8.0451 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 11.7601 हेक्टेयर किस्म बा. [illegible] भूमि [illegible] है जिसकी जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रैस साथ संलग्न है। उपरोक्त ख[illegible] की भूमि पर प्रार्थीगण का [illegible] पुश्तैनी हैं जो पीढीयो से आज दिन तक खातेदारी [illegible] दर्ज होकर काबिज होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 से 11 की भूमि आई हुई है, तथा [illegible]गण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 11 तक के खेतों के बीच में किसी प्रकार की [illegible] सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी[illegible] काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के [illegible] तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 11 तक प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण व उसके परिवार को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ. /2021/671 दिनांक 05.07.2021 पटवारी हल्का सुदाबेरी को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 16.07.2021 को हल्का पटवारी सुदाबेरी द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थीगण व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान कार्य शुरू किया गया तथा खसरा नम्बर 14, 16 के खातेदारों मौके पर बुलाया गया तो पड़ौसी खातेदारो ने सीमाज्ञान करने से मना किया। व मौके पर दोनों खसरों के खातेदारों के बीच सेढे को लेकर विवाद है बताया गया है। व विप्रार्थी संख्या 01 से 11 तक ने सीमाज्ञान नहीं करने दिया तब हल्का पटवारी ने विवाद की स्थिति होने के कारण नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा मीठी पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम मीठी पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 14, 16 क्षेत्रफल क्रमशः 3.7150, 8.0451 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 11.7601 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम, बा. सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें का पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 12 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की।

विप्रार्थी संख्या 01 से 03 तक की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई उपस्थित हुए।

विप्रार्थी 04 से 11 को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 24.11.2022 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के वकील ने जबाब पेश नहीं कर सीधी बहस करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावों ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/ बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण ने आवेदन पेश किया था तब खसरा खसरा संख्या 16 था अब कुछ रकबा विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को जोड़ने के लिए रास्ता दिया था तब समर्पण होने से खसरा संख्या 50/16 हो गया है। खसरा संख्या 16 के स्थान पर 50/16 पढ़ा जाएं।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व विप्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम मीठी पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 14, 50/16 क्षेत्रफल क्रमशः 3.7150, 7.9491 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 11.6641 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम, बा. सोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.07.2021 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 14, 50/16 के सीमाज्ञान ... किया गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान ... कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से ... पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थि... तथा खेतों के बीच किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी ग्राम मीठी पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 14, 50/16 क्षैत्रफल क्रमशः 3.7150, 7.9491 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 11.6641 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम, बा. सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम मीठी पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 14, 50/16 क्षैत्रफल क्रमशः 3.7150, 7.9491 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 11.6641 हेक्टेयर का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके ग्राम मीठी पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 14, 50/16 क्षैत्रफल क्रमशः 3.7150, 7.9491 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 11.6641 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम, बा. सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:46:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner